–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 171/2024

उनवान

देवी सिंह पुत्र भोला सिह जाति रावत निवासी ग्राम भवानीखेडा, नसीराबाद

–– प्रार्थी :–जरियें अधिवक्ता श्री नितेश यादव

बनाम

.1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

2. मैनेजर यूनियन बैंक आर्फ इण्डिया, शाखा भवानीखेडा, नसीराबाद (तर्क)

–– अप्रार्थी :– जरियें राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा धारा 131 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: आदेश :– दिनांक :– 7.10.25

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम झडवासा के वंर्किग खसरा नम्बर 3737 के हाल खसरा नम्बर 2068 रकबा 0.55, 2071 रकबा 0.09 व 2072 रकबा 0.14 की आराजी प्रार्थी की कयशुदा है, जिस पर प्रार्थी कय दिनांक से ही काबिज काश्त चला आ रहा है। वंर्किग राजस्व मानचित्र में साबिक खसरा नम्बर 3737 सही व नियत स्थान पर था। हाल राजस्व मानचित्र बनाते समय आराजी मुतनाजा के दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 2008 को गलत दर्शित कर दिया है। हाल खसरा नम्बर 2008 वंर्किग खसरा नम्बर 3747 का ही भाग है। प्रार्थी की खातेदारी आाराजी को हाल मानचित्र में छोटा दर्शा दिया है। जिस कारण आराजी मुतनाजा का राजस्व मानचित्र गलत अंकित हो गया है। अतः प्रार्थी की खातेदारी आराजी का राजस्व मानचित्र सही अंकित किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वंर्किग नक्शा अनुसार हाल मानचित्र में दुरूस्ती करने से सिवायचक खसरा नम्बर 2008 व 2074 की भूमि प्रभावित होगी। प्रार्थी के खातेदारी खसरा नम्बर का रकबा दुरूस्त करने से सिवायचक खसरा नम्बर का रकबा कम हो जायेगा। जिसका समायोजन अन्य खसरा नम्बर से करना संभव नही है। प्रकरण में राजहित प्रभावित होता है। साथ ही [illegible] हेतु मौका रिपोर्ट भी तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता व राज.पैरोकार की बहस [illegible] मनन किया। ग्राम झडवासा के वंर्किग खसरा नम्बर 3737 के हाल खसरा नम्बर [illegible] रकबा 0.55, 2071 रकबा 0.09 व 2072 रकबा 0.14 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी [illegible] दर्ज है। उक्त आराजी का वंर्किग राजस्व मानचित्रमौके अनुसार सही अंकित है। हाल

––2

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 17:13:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

राजस्व मानचित्र में प्रार्थी के खसरा नम्बर 2068 रकबा 0.55, 2071 रकबा 0.09 व 2072 रकबा 0.14 की आराजी के दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 2008 को गलत दर्शित कर दिया है। हाल खसरा नम्बर 2008 वंर्किग खसरा नम्बर 3747 का ही भाग है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी को हाल मानचित्र में छोटा दर्शा दिया है। जिस कारण आराजी मुतनाजा का राजस्व मानचित्र गलत अंकित हो गया है। राज. पैरोकार व मौका रिपोर्ट से भी प्रार्थी की आराजी का मानचित्र त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। राज. पैरोकार का कथन है कि वंर्किग नक्शा अनुसार हाल मानचित्र में दुरूस्ती करने से सिवायचक खसरा नम्बर 2008 व 2074 की भूमि प्रभावित होगी। प्रार्थी के खातेदारी खसरा नम्बर का रकबा दुरूस्त करने से सिवायचक खसरा नम्बर का रकबा कम हो जायेगा। जिसका समायोजन अन्य खसरा नम्बर से करना संभव नही है। प्रकरण में राजहित प्रभावित होता है। किन्तु राजस्व मानचित्र दुरूस्त करने से जमाबंदी में किसी भी खसरा नम्बर का रकबा प्रभावित नही होगा। बंदोबसत विभाग को हाल खसरा नम्बर के राजस्व मानचित्र के त्रुटिपूर्ण इन्द्राज करने का कोई अधिकार नही है। मानचित्र दुरूस्त करने से सिवायचक खसरा नमबर का रकबा जमाबंदी में कम नही होगा। उक्तानुसार आराजी मुतनाजा का हाल राजस्व मानचित्र त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। प्रकरण में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को कोई ठोस खण्डन नही है। प्रार्थी राजस्व मानचित्र दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र**"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद ग्राम झडवासा के हाल खसरा नम्बर 2068 रकबा 0.55, 2071 रकबा 0.09 व 2072 रकबा 0.14 व आस–पास के खसरा नम्बर के हाल व वंर्किग मानचित्र की तुलना कर पायी गयी त्रुटि को दुरूस्त करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 17:13:53 IST
Reason: SelfAttested